रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]	नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 13, 2014/आश्विन 21, 1936
No. 240]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 13, 2014/ASVINA 21, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2014

एफ.सं. 13/6/2009-इन्फ्रा.--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, अवसंरचना के उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची एतद्द्वारा अधिसूचित की जाती है (अनुबंध-1) । इस नई सूची में तारीख 08-10-2013 की अधिसूचना में किए गए निम्नलिखित परिवर्तन शामिल हैं :

1. ''सामाजिक और वाणिज्यक अवसंरचना'' उप-क्षेत्र--''उर्वरक (पूंजी निवेश)'' हटा दिया गया है ।
2. ''सामाजिक और वाणिज्यक अवसंरचना'' की इसी श्रेणी में उप-श्रेणी ''औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधाओं तथा कृषि बाजार हेतु साझी अवसंरचना'' को संशोधित करके ''औद्योगिक पार्क और फूड पार्क, टैक्सटाइल पार्क जैसे औद्योगिक कार्यकलाप वाले अन्य पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधाओं तथा कृषि बाजार हेतु सांझी अवसंरचना'' कर दिया गया है।

शर्मिला चावलि, संयुक्त सचिव (इन्फ्रा.)

अनुबंध-I

अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची

क्र.सं.	श्रेणी	अवसंरचना उप-क्षेत्र
1.	परिवहन	• सड़क और पुल • पत्तन[1] • अन्तर्देशीय जलमार्ग • विमानपत्तन • रेलवे मार्ग, सुरंग, सेतु, पुल [2] • शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टाक को छोड़कर)
2.	ऊर्जा	• विद्युत उत्पादन • विद्युत पारेषण • विद्युत वितरण • तेल पाईपलाइनें • तेल/गैस/द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा[3] • गैस पाईपलाइनें[4]
3.	जल और स्वच्छता	• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन • जल आपूर्ति पाईपलाइनें • जल शोधन संयंत्र • मल-जल एकत्रण, प्रबंधन तथा निपटान प्रणाली • सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि) • वर्षा जल निकासी प्रणाली • स्लरी पाइपलाइनें
4.	संचार	• दूरसंचार (फिक्सड नेटवर्क)[5] • दूरसंचार टावर • दूरसंचार और दूरसंचार सेवाएं
5.	सामाजिकतथा वणिज्यिक अवसंरचना	• शिक्षण संस्थान (कैपिटल स्टाक) • अस्पताल (कैपिटल स्टाक)[6] • 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल • औद्योगिक पार्क और फूड पार्क, टैक्स्टाइल पार्क जैसे औद्योगिक कार्यकलाप वाले अन्य पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधाओं तथा कृषि बाजार हेतु सांझी अवसंरचना • कृषि तथा बागवानी उत्पाद हेतु शीत भंडारण सहित कटाई उपरान्त भण्डारण अवसंरचना • टर्मिनल बाजार • मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाएं • प्रशीतन श्रृंखला[7] • भारत में कहीं भी और किसी भी स्टार रेटिंग के 200 करोड़ रुपए प्रत्येक से अधिक की परियोजना लागत[8] के होटल • 300 करोड़ रुपए प्रत्येक से अधिक की परियोजना लागत के सम्मेलन केंद्र

1. तलकर्षण शामिल है ।
2. लोडिंग/अनलोडिंग टर्मिनलों, स्टेशन तथा भवनों जैसी सहायक टर्मिनल अवसंरचना शामिल है ।
3. कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भंडारण शामिल है।
4. शहरी गैस वितरण नेटवर्क शामिल है।
5. आप्टिक फाइबर/वायर/तार नेटवर्क, जो ब्राड बैण्ड/इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं।
6. मेडिकल कालेज, पैरा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान तथा नैदानिक केंद्र शामिल हैं।
7. कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, जल उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु खेत सूतर की प्री कूलिंग हेतु शीत कक्ष सुविधा शामिल है।
8. पात्र परियोजनाओं के लिए 8 /10/2013) संदर्भ राजपत्र अधिसूचना संख्या 225) से तीन वर्ष के लिए भविष्य लक्षी प्रभाव से उपलब्ध; पात्र लागत में भूमि की कीमत और लीज़ प्रभार शामिल नहीं हैं लेकिन निर्माण के दौरान का ब्याज शामिल है ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(INFRASTRUCTURE SECTION)
NOTIFICATION
New Delhi,the 13th October, 2014

F. No. 13/6/2009-INF.—With the approval of the competent authority, an updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors (**Annexure-I**) is hereby notified. The new list incorporate the following changes to the notification dated 08/10/2013 :

1. Under the category of "Social and Commercial Infrastructure" the sub-sector – "Fertilizer (Capital Investment)" is deleted.
2. Under the same category of "Social and Commercial Infrastructure" the sub-category "Common infrastructure for industrial parks, Special Economic Zones, tourism facilities and agricultural markets" is amended as " Common infrastructure for Industrial Parks and other parks with industrial activity such as food parks, textile parks, Special Economic Zones, tourism facilities and agricultural markets".

SHARMILA CHAVALY, Jt. Secy. (Infra)

Annexure-I

Updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors

Sl.No.	Category	Infrastructure sub-sectors
1.	Transport	• Roads and bridges • Ports[1] • Inland Waterways • Airport • Railway Track, tunnels, viaducts, bridges[2] • Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)
2.	Energy	• Electricity Generation • Electricity Transmission • Electricity Distribution • Oil pipelines • Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility[3] • Gas pipelines[4]
3.	Water and Sanitation	• Solid Waste Management • Water supply pipelines • Water treatment plants • Sewage collection, treatment and disposal system • Irrigation (dams, channels, embankments, etc.) • Storm Water Drainage System • Slurry Pipelines
4.	Communication	• Telecommunication (fixed network)[5] • Telecommunication towers • Telecommunication & Telecom Services
5.	Social and Commercial Infrastructure	• Education Institutions (capital stock) • Hospitals (capital stock)[6] • Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million • Common infrastructure for Industrial Parks and other parks with industrial activity such as food parks, textile parks, Special Economic Zones, tourism facilities and agriculture markets • Post-harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage • Terminal markets • Soil-testing laboratories

		• Cold Chain[7] • Hotels with project cost [8] of more than Rs. 200 crores each in any place in India and of any star rating; • Convention Centers with project cost[8] of more than Rs. 300 crores each.

[1] Includes Capital Dredging.

[2] Includes supporting terminal infrastructure such as loading/unloading terminals, stations and buildings.

[3] Includes strategic storage of crude oil.

[4] Includes city gas distribution network.

[5] Includes optic fibre/wire/cable networks which provide broadband / Internet.

[6] Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostics Centres.

[7] Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat.

[8] Available with prospective effect for three years from 8-10-2013 (reference Gazette Notification No. 225) for eligible projects; Eligible costs exclude cost of land and lease charges but include interest during construction.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054